# झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
**JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI**


## वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा, 2015 के छात्रों के पंजीयन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना

**विज्ञप्ति संख्या - 63/2014**

एतद् द्वारा संबंधित सभी कोटि के महाविद्यालय/+2 विद्यालय के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि इंटरमीडिएट परीक्षा, 2015 के छात्रों के पंजीयन में हुई त्रुटियों के निराकरण हेतु चेकलिस्ट परिषद् द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

**Check-list में संशोधन की प्रक्रिया निम्नवत है:-**

इंटरमीडिएट सत्र 2013–15 के सूचीकृत नियमित छात्र/छात्राओं की कम्प्यूटरीकृत समेकित सूची दिनांक 19.09.2014 से 20.09.2014 तक संबंधित महाविद्यालय/+2 विद्यालय के प्राचार्य या उनके द्वारा प्राधिकृत विशेष दूत परिषद् कार्यालय से प्राप्त कर लें। उक्त सूची में सभी प्रकार की त्रुटियाँ यथा छात्र/छात्रा का नाम, उनके माता–पिता का नाम, पाठ्यक्रम के अनुसार चयनित विषय आदि के निराकरण हेतु संबंधित प्राचार्य को अधिकृत किया जाता है। संशोधित समेकित सूची प्राचार्य के हस्ताक्षरोपरान्त दिनांक 15.10.2014 तक परिषद् कार्यालय में प्राप्त की जायेगी। निर्धारित तिथि के बाद संशोधित समेकित सूची प्राप्त होने पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी और इसके लिए संबंधित संस्था के प्राचार्य सीधे तौर पर जिम्मेवार होंगे। संशोधन लाल स्याही वाले बॉल पेन से ही किया जायेगा।

(1) विषय के संशोधन में ध्यान रहे कि जो छात्र कोर विषय के रूप में अंग्रेजी ‘A’ रखते हैं, वे ऐच्छिक (Elective) अथवा अतिरिक्त (Additional) विषय के रूप में अंग्रेजी नहीं रखेंगे। उसी प्रकार कोर विषय हिन्दी ‘A’ रखने पर हिन्दी को ही ऐच्छिक (Elective) अथवा अतिरिक्त (Additional) विषय में नहीं रखेंगे। हिन्दी ‘B’ (HNB) विषय चयनित छात्र को मातृभाषा (MB) के अन्तर्गत चयनित विषय का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। प्राय: ऐसा देखा जाता है कि सिर्फ मातृभाषा लिखकर विषय (भाषा) का उल्लेख नहीं किया जाता है जिससे उनका परीक्षाफल अपूर्ण घोषित हो जाता है। अगर ऐसा हुआ हो तो संबंधित प्राचार्य उसका सुधार कर लेंगे ताकि संबंधित छात्र का परीक्षाफल प्रभावित नहीं हो।

(2) ध्यातब्य है कि विषयों का चयन पाठ्यक्रम के अनुसार ही अनिवार्य रूप से किया जाये।

(3) सूचीकरण में अंकित विवरणी ही परीक्षा के लिये मान्य होगी। अतएव सूचीकरण के Check-List में संशोधन के समय पूर्ण सतर्कता बरती जाय।

संबंधित प्राचार्य से अनुरोध है कि समेकित सूची में यदि कोई त्रुटि हो तो उसे निश्चित रूप से सुधार कर लेंगे। ऐसा नहीं करने पर अगर परीक्षाफल प्रभावित होता है अथवा परीक्षाफल प्रकाशन के उपरान्त पंजीयन, अंकपत्र, प्रवेश पत्र, प्रमाण पत्र इत्यादि में त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिये संबंधित प्राचार्य उत्तरदायी होंगे।

संथाल परगना प्रमण्डल के महाविद्यालय परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं पलामू प्रमण्डल के महाविद्यालय परिषद् के प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर से उक्त तिथि को अपने महाविद्यालय की समेकित सूची प्राप्त कर निर्धारित समय–सीमा के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में जमा करेंगे।

**अध्यक्ष के आदेश से,**
**ह./-**
**( मोहन चाँद मुकिम )**
**सचिव,**
**झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।**

JAC/INTER/गो./19644/12/SECY/504/14
Dt. 18.09.2014
D.O.P : 19.09.2014